

						28.0.2021 प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि मा10 आयोग द्वारा उक्त वाद में मुनवाई हेतु निम्न दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आरीपित अर्द्धवज रुपये 5000.00 की यफूली समाप्ता करते हुए वाद निस्तमित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जमा का प्रमाण- पत्र होने ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा।		
02	बाण्डिज क र विभागा, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री नरेंद्र प्रसाद, एडीशनाल कमिश्नर चेड-2	23-06-2014	₹0 25,000/-	शून्य	शून्य	श्री अनुज बंसल द्वारा मार्गी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग बचनऊ ने दिनांक-23.06.2014 को तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) बाण्डिज क र, मुरादाबाद पर वादी को सूचना उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में ₹0-25000.00 का अर्द्धवज आदेश दिनांक-23.06.2014 द्वारा लगाया गया है, जिसके क्रम में कार्यवाही-हिन्दी कमिश्नर (प्रशा0) बाण्डिज क र मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2902 दिनांक- 13.03.2020 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर के बचन से उक्त अर्द्धवज धनराशि ₹0-25000.00 की कटौती हेतु हिन्दी कमि0 (प्रशा0) बाण्डिज क र, गौण्डा को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) बाण्डिज क र मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1969 दिनांक 05-02-2021 द्वारा हिन्दी कमि0 (प्रशा0) बाण्डिज क र, गौण्डा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में एडीशनाल कमिश्नर चेड-1 बाण्डिज क र अयोध्या जोन अयोध्या द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) बाण्डिज क र मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 1739 दिनांक 19-02-2021 द्वारा उपरोक्त अर्द्धवज धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अक्सिस्टेंट कमिश्नर (प्रशा0) बाण्डिज क र गौण्डा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 39 दिनांक 13-05-2021 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर को अर्द्धवज जमा करने हेतु प्रेषित किया गया है अर्द्धवज जमा करने के संबंध में पुन- पत्र संख्या 1687 दिनांक 27.12.2021 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जमा का प्रमाण- पत्र प्राप्त होने ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा।	शून्य

03	गाण्डिय क र विभाग, मुसादाबाद जेन, मुसादाबाद	श्री रान, असि0कमि0वाक 0 एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	19-06-2018	₹0 25000.00	अधिराषित अर्थदण्ड जमा कार्ये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को इस स्तर से पत्र संख्या- 800 दिनांक 07-03- 2020 धरित किया गया था । जिसके सम्बन्ध में दूरभाषा पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मा0 आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया गया है । जिसकी सूचना जिलाधिकारी, बिजनौर की सेवा में भी धरित की गयी है ।	शून्य	अधिराषित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 114 दिनांक 06-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 15-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है । सम्बन्धित अधिकारी द्वारा माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या- 477 दिनांक 30-01- 2021 के क्रम में धरित किया गया है । पुनः पुनर्विचार पर्यन्त कार्यालय पत्र सं0 214 दिनांक 19-02-2021 को धरित किये जाने की सूचना असिस्टेन्ट कमिश्नर गाण्डिय क र एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर के पत्र सं0 50 दिनांक 01-07-2021 को धरित की गयी है ।	शून्य
04	गाण्डिय क र विभाग, मुसादाबाद जेन, मुसादाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय गाण्डिय क र अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	16-07-2018	₹0 25000.00	अधिराषित अर्थदण्ड जमा कार्ये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डि0कमि0 को इस स्तर से पत्र सं0 769 दि0 28-02-2020, पुनः पत्र सं0 816 दि0 18- 03-2020 धरित किये गये है ।	शून्य	अधिराषित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है । अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है । पुनः असिस्टेन्ट कमिश्नर गाण्डिय क र एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर के पत्र सं0 147 दिनांक 25-06-2021 द्वारा प्रत्यावेदन अनुस्मारक पत्र धरित किया गया है ।	शून्य

05	वाणिज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(क0व0)/ अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुनर्याचिका प्रा0पत्र मा0 30प्रा0राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 01.11.2018 में दाखल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा0 30प्रा0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
06	वाणिज्य कर	श्री जे0पी0सिंह, से0नि0 डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा0 30प्रा0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा0 30प्रा0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
07	वाणिज्य कर	श्री इन्द्रजीत भदौरिया, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0)/जनसूचना अधिकारी, वा0क0 मेरठ	02.01.2018	25000.00	00	00	कार्यवाही चल रही है।	कार्यवाही चल रही है।
08	वाणिज्य कर	श्री यू0सी0शर्मा, वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, मुरादाबाद	23.10.2018 (30प्रा0 सूचना आयोग का पत्रांक- 10979 दि0 11.12.2018 से प्राप्त)	25000.00	शून्य	नहीं	दण्ड में निहित धनराशि जमा कराये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र संख्या- 4407 दिनांक 01.01.2019 व अनुस्मारक पत्र संख्या-6135 दिनांक 06.03.19 व पत्र संख्या- 125 दिनांक 24.04.19 व पत्र संख्या- 702 दिनांक 25.06.19, प्रा0सं0-2868 दि0 29.11.2019 एवं प्रा0सं0- 140 दि0 18.06.20	दण्ड प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2019 में अपील दायर की गयी है।

						प्रेषित ।		
09	वाणिज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि०कॉमि ० (प्रशा०) वा०क० झांसी	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, ३०प्र० लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है ।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०-1/2482/सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त ३०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक- 104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लब्धित है ।

20/5.05.2012
(सोनिका)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (जनसूचना) सहायक जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।